राजस्थान सरकार

उपभोक्ता मामले विभाग

जयपुर, दिनांक:

अधिसूचना

एस.ओ. ..... उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 68) की धारा -16 उप धारा (1) खण्ड (ख) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए **श्री केदार लाल गुप्ता पुत्र स्व. श्री जमनालाल गुप्ता** को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर में पूर्णकालिक सदस्य (न्यायिक), मुख्यालय जयपुर नियुक्त करती है।

यह नियुक्ति निम्न शर्तो एवं निबंधनों के अधीन होगीः-

1. **श्री केदार लाल गुप्ता** , सदस्य की यह नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि या उनके 67 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी।
2. **श्री केदार लाल गुप्ता**, को उनके द्वारा आहरित अंतिम वेतन में से पेंशन की राशि हटाने पर आई अवशेष राशि अर्थात (**Pay-Pension**) के बराबर रकम मानदेय के रूप में प्रति माह देय होगी।
3. राज्य आयोग का सदस्य ऐसे यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का हकदार होगा, जो राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारी को देय है।
4. उन्हें ऐसे राजपत्रित अवकाश देय होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा घोषित किए गए हैं।
5. राज्य आयोग के सदस्य को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 व उसके अन्तर्गत बनाये गये उपभोक्ता संरक्षण (राजस्थान) नियम, 1987 के प्रावधानों के अनुसार पद से हटाया जा सकता है।
6. राज्य आयोग के सदस्य को नियुक्ति अवधि के दौरान अभिभाषक की सनद (प्रमाण-पत्र) निलम्बित करानी होगी और उस अवधि के दौरान वे अभिभाषक की हैसियत से कार्य (प्रेक्टिस) करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
7. राज्य आयोग सदस्य के रूप में नियुक्ति अवधि के दौरान कोई लाभ का पद अथवा अन्य नियुक्ति ग्रहण नहीं करेंगे। यदि पूर्व से ही किसी लाभ के पद अथवा सेवा में नियोजित हो; तो वे इस प्रकार के पद अथवा नियुक्ति पर जारी (Continue) नहीं रहेंगे।
8. राज्य आयोग के सदस्य द्वारा अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को उपभोक्ता संरक्षण (राजस्थान) नियम, 1987 के नियम 6(6) के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में वचन पत्र दो प्रतियों में पेश करना होगा, जिसकी एक प्रति पंजीयक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के माध्यम से प्रशासनिक विभाग को भेजी जायेगी।
9. राज्य आयोग के सदस्य की राजस्थान सरकार के कार्य दिवसों में आयोग में उपस्थिति अनिवार्य होगी।
10. राज्य आयोग की सेवा के अन्य निबन्धन एवं शर्तें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा उपभोक्ता संरक्षण (राजस्थान) नियम, 1987 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित होंगी।
11. उक्त नियुक्ति आदेश के क्रम में नियुक्त किए गए सदस्य को जिला स्तरीय राजकीय चिकित्सालय द्वारा निर्धारित मेडिकल बोर्ड से स्वयं का फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त कर कार्यग्रहण से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
12. उक्त नियुक्ति आदेश के क्रम में नियुक्त किये गये सदस्य को अधिसूचना जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सदस्य (न्यायिक) के रूप में अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर इस कार्यालय एवं रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर को तत्काल अवगत कराना होगा।

एफ 89(5) खा.वि./उ.स./2020

राज्यपाल की आज्ञा से

(अभय कुमार)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (उपभोक्ता मामले)

RajKaj Ref
5042053

Signature Not Verified

Digitally Signed by Abhay Kumar
Designation : Additional Chief Secretary To Government
Date :08-11-2023 06:25:52